प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी
आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज(इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या(फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 31 अगस्त, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-107/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ीकरण-एससीपी(253)/2020-21, दिनांक-20 जुलाई, 2020 एवं पत्रांक-183/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0-एससीपी/ 2020-21, दिनांक-25 अगस्त, 2020 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 2142.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1071.365 लाख (रू0 दस करोड़ इकहत्तर लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के निर्धारित मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैक / डाकघर में जमा नही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए ही व्यय की जायेगी।

(4) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(6) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। सम्बन्धित जनपदों की वास्तविक आवश्यकता एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर धनराशि आहरित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा। साथ ही, सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति को भी यथासमय अवगत कराते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(8) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। दुग्ध आयुक्त संबंधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए इसका उपयोगिता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्धारित मदों / चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

(12) वित्तीय वर्ष के अन्त तक गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार/जनपदवार एव जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

(13) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020 /बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में, शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा अन्य संगत शासनादेश द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक- **''2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक- 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2020/749(1)/53-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.15 के सन्दर्भ में प्रेषित।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- **13/2020 /749/53-2-2020-2(118)/15**, दिनांक 31 अगस्त, 2020 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2020-21 मे वर्तमानं दुग्ध संघो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

(जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र.	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी / निवर्तन अधिकारी का पद नाम	दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन व विस्तार (एस0सी0पी)							
			स्वीकृत मदे						कुल	
			समिति गठन		समिति पुनर्गठन		यातायात अनुदान	कार्यशीलपूंजी/ दुग्ध मूल्य भुगतान	प्रबन्धकीय अनुदान	कुल धनराशि
			लक्ष्य (सं.)	धनराशि	लक्ष्य (सं.)	धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आगरा	दु0विअ0 आगरा	1	0.690	1	0.144	0.82174	13.09000	2.45000	17.19574
2	मैनपुरी	उप दु0विअ0 मैनपुरी	0	0.000	0	0.000	0.08210	1.29000	0.24000	1.61210
3	मथुरा	दु0विअ0 आगरा	1	0.690	2	0.288	1.62296	25.97000	4.87000	33.44096
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.50069	7.96000	1.49000	10.78469
आगरा मण्डल			**3**	**2.070**	**4**	**0.576**	**3.02749**	**48.31000**	**9.05000**	**63.03349**
5	अलीगढ़	दु0विअ0 आगरा	1	0.690	1	0.144	1.04875	16.89000	3.17000	21.94275
6	हाथरस	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.23605	3.78000	0.71000	4.72605
7	एटा	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.18002	2.96000	0.56000	4.39002
8	कासगंज	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.19899	3.12000	0.58000	3.89899
अलीगढ़ मण्डल			**2**	**1.380**	**1**	**0.144**	**1.66381**	**26.75000**	**5.02000**	**34.95781**
9	झांसी	उप दु0विअ0 झांसी	0	0.000	1	0.144	0.44698	7.14000	1.34000	9.07098
10	ललितपुर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.41835	6.75000	1.27000	8.43835
11	जालौन(उरई)	उप दु0विअ0 जालौन(उरई)	1	0.690	0	0.000	0.10728	1.71000	0.32000	2.82728
झॉसी मण्डल			**1**	**0.690**	**1**	**0.144**	**0.97261**	**15.60000**	**2.93000**	**20.33661**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	0	0.000	1	0.144	0.07944	1.27000	0.24000	1.73344
13	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	0	0.000	0	0.000	0.00841	0.14000	0.03000	0.17841
14	बांदा	उप दु0वि0अ0 बांदा	0	0.000	0	0.000	0.08722	1.39000	0.26000	1.73722
15	चित्रकूट(कर्बी)	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.67170	10.69000	2.00000	14.05170
चित्रकूट धाम मण्डल			**1**	**0.690**	**1**	**0.144**	**0.84677**	**13.49000**	**2.53000**	**17.70077**
16	लखनऊ	दु0विअ0 लखनऊ	0	0.000	1	0.144	5.32809	85.17000	15.97000	106.61209
17	रायबरेली	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.46011	7.26000	1.36000	9.91411
18	हरदोई	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.24159	3.84000	0.72000	5.49159
19	उन्नाव	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.47545	7.68000	1.44000	9.73945
20	सीतापुर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.84667	13.61000	2.55000	17.15067
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपरु-खीरी	1	0.690	0	0.000	0.86713	13.90000	2.61000	18.06713
लखनऊ मण्डल			**3**	**2.070**	**4**	**0.576**	**8.21904**	**131.46000**	**24.65000**	**166.97504**
22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	1	0.690	1	0.144	1.44411	23.12000	4.34000	29.73811
23	बदांयू	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	1.87786	29.98000	5.62000	37.62186
24	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	0	0.000	0	0.000	0.08705	1.47000	0.28000	1.83705

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	शाहजहांपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहांपुर	1	0.690	0	0.000	0.78290	12.48000	2.34000	16.29290
बरेली मण्डल			**2**	**1.380**	**2**	**0.288**	**4.19192**	**67.05000**	**12.58000**	**85.48992**
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	1	0.690	0	0.000	6.89828	110.40000	20.70000	138.68828
27	बागपत	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.67453	10.80000	2.03000	14.19453
28	गाजियाबाद	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.39747	6.34000	1.19000	7.92747
29	हापुड़	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.10472	1.64000	0.31000	2.19872
30	गौतमबुद्धनगर (नोएडा)	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.55139	8.87000	1.66000	11.08139
31	बुलन्दशहर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	1.43581	23.08000	4.33000	28.98981
मेरठ मण्डल			**2**	**1.380**	**2**	**0.288**	**10.06220**	**161.13000**	**30.22000**	**203.08020**
32	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	1	0.690	0	0.000	0.58040	9.38000	1.76000	12.41040
33	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.55516	8.82000	1.65000	11.85916
34	शामली	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.10042	1.51000	0.28000	1.89042
सहारनपुर मण्डल			**2**	**1.380**	**1**	**0.144**	**1.23598**	**19.71000**	**3.69000**	**26.15998**
35	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	1	0.690	1	0.144	1.45405	23.21000	4.35000	29.84805
36	सम्भल	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.68161	10.79000	2.02000	14.18161
37	अमरोहा	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.47780	7.73000	1.45000	10.34780
38	रामपुर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.18702	2.93000	0.55000	3.66702
39	बिजनौर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.68386	11.02000	2.07000	13.91786
मुरादाबाद मण्डल			**3**	**2.070**	**2**	**0.288**	**3.48434**	**55.68000**	**10.44000**	**71.96234**
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0	0.000	1	0.144	1.54155	24.66000	4.62000	30.96555
41	चन्दौली	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.56415	9.04000	1.70000	12.13815
42	गाजीपुर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.15516	2.48000	0.46000	3.23916
43	जौनपुर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.22083	3.38000	0.63000	5.06483
वाराणसी मण्डल			**2**	**1.380**	**4**	**0.576**	**2.48169**	**39.56000**	**7.41000**	**51.40769**
44	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0	0.000	0	0.000	0.18142	2.91000	0.55000	3.64142
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	1	0.690	1	0.144	0.85767	13.81000	2.59000	18.09167
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	0	0.000	0	0.000	0.10726	1.69000	0.32000	2.11726
विन्ध्यांचल मण्डल			**1**	**0.690**	**1**	**0.144**	**1.14635**	**18.41000**	**3.46000**	**23.85035**
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	1	0.690	1	0.144	1.68358	26.98000	5.06000	34.55758
48	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	0	0.000	1	0.144	0.02651	0.51000	0.10000	0.78051
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	1	0.690	1	0.144	0.18938	3.05000	0.57000	4.64338
50	कुशीनगर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.03752	0.69000	0.13000	0.85752
गोरखपुर मण्डल			**2**	**1.380**	**3**	**0.432**	**1.93699**	**31.23000**	**5.86000**	**40.83899**
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	1	0.690	2	0.288	1.41665	22.69000	4.25000	29.33465
52	संतकबीरनगर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.05529	0.77000	0.14000	0.96529

.....3/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	0	0.000	0	0.000	0.01809	0.29000	0.06000	0.36809
बस्ती मण्डल			**1**	**0.690**	**2**	**0.288**	**1.49003**	**23.75000**	**4.45000**	**30.66803**
54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	1	0.690	0	0.000	1.27769	20.53000	3.85000	26.34769
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	0	0.000	0	0.000	0.01064	0.12000	0.02000	0.15064
56	बलिया	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.30589	4.80000	0.90000	6.14989
आजमगढ़ मण्डल			**1**	**0.690**	**1**	**0.144**	**1.59422**	**25.45000**	**4.77000**	**32.64822**
57	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज (इलाहाबाद)	0	0.000	1	0.144	1.33926	21.46000	4.02000	26.96326
58	कौशाम्बी	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.11143	1.83000	0.34000	3.11543
59	फतेहपुर	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.34222	5.58000	1.05000	7.80622
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	1	0.690	0	0.000	0.15911	2.47000	0.46000	3.77911
प्रयागराज मण्डल			**3**	**2.070**	**3**	**0.432**	**1.95202**	**31.34000**	**5.87000**	**41.66402**
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	1	0.690	0	0.000	0.76347	12.13000	2.27000	15.85347
62	कानपुर देहात	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	0.13457	2.18000	0.41000	3.55857
63	फर्रूखाबाद	-तदैव-	1	0.690	0	0.000	0.27896	4.49000	0.84000	6.29896
64	कन्नौज	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.36594	5.73000	1.07000	7.30994
65	औरैया	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.05537	0.77000	0.14000	1.10937
66	इटावा	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.09609	1.60000	0.30000	1.99609
कानपुर मण्डल			**3**	**2.070**	**3**	**0.432**	**1.69440**	**26.90000**	**5.03000**	**36.12640**
67	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	0	0.000	1	0.144	1.33466	21.40000	4.01000	26.88866
68	अम्बेडकरनगर	उपदु0वि0अ0अम्बेडकरनगर	1	0.690	1	0.144	0.73989	11.83000	2.22000	15.62389
69	सुल्तानपुर	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.31449	4.92000	0.92000	6.29849
70	अमेठी	-तदैव-	0	0.000	1	0.144	0.28631	4.59000	0.86000	5.88031
71	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	1	0.690	2	0.288	1.02886	16.48000	3.09000	21.57686
अयोध्या मण्डल			**2**	**1.380**	**6**	**0.864**	**3.70421**	**59.22000**	**11.10000**	**76.26821**
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	1	0.690	1	0.144	1.04774	16.71000	3.13000	21.72174
73	बलरामपुर	-तदैव-	0	0.000	0	0.000	0.11526	1.96000	0.37000	2.44526
74	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	0	0.000	0	0.000	0.05658	0.99000	0.19000	1.23658
75	बहराइच	-तदैव-	1	0.690	1	0.144	1.09935	17.57000	3.29000	22.79335
देवीपाटन मण्डल			**2**	**1.380**	**2**	0.288	**2.31893**	**37.23000**	**6.98000**	**48.19693**
कुल			**36**	**24.840**	**43**	**6.192**	**52.02300**	**832.27000**	**156.04000**	**1071.36500**

(रू0 दस करोड़ इकहत्तर लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र)

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।